दिनांक-22.नवंबर.2019

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ और सुंदर भिलाई

मूलभूत के कार्यों की स्वीकृति अब करेंगे जोन आयुक्त , कार्य में सरलीकरण लाने आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने जारी किया आदेश

नगरीय सेवाओ के अंतर्गत संधारण एवं मरम्मत कार्यों के लिए मूलभूत की राशि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा आवंटित की जाती है जिसका उपयोग वार्डों में विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है!

इस मद से कार्य कराने की स्वीकृति आदि के लिए नस्तियां मुख्य कार्यालय में प्रस्तुत की जाती रही है परंतु अब मूलभूत कार्य के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा देयक भुगतान के लिए जोन आयुक्त अधिकृत कर दिए गए है! आयुक्त श्री रघुवंशी ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) मे प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए निगम भिलाई के जोन कार्यालयों को प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से सशक्त बनाने एवं कार्य को सुचारू रूप से शीघ्रता से निराकरण करने की दृष्टिकोण से शासन द्वारा नियुक्त किए गए जोन आयुक्तों को मूलभूत कार्य के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा देयक भुगतान किए जाने के लिए अधिकृत किया गया है! जारी आदेश में यह भी उल्लेखित है कि जोन कार्यालयों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निकाय को मूलभूत मद में प्राप्त होने वाली सहायता राशि को चार समान किस्तों में जारी किया जाएगा , प्रत्येक माह में व्यय होने वाली राशि का विवरण लेखा अधिकारी को भेजा जाना होगा, अनुदान राशि को जोन में प्रचलित बैंक खाते में संधारण किया जाएगा, प्रथम किस्त की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के पश्चात ही दूसरी किस्त प्रदाय की जावेगी! इस मद की राशि का किसी एक कार्य में उपयोग करने हेतु प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक कार्य के लिए अधिकतम □3.00 लाख की सीमा निर्धारित की गई है साथ ही इस राशि का उपयोग विद्युत बिल , वेतन, पेट्रोल, डीजल, स्टेशनरी आदि पर व्यय नहीं किया जाएगा! मूलभूत के कार्यों की स्वीकृति अनुबंध , कार्यआदेश, देयक भुगतान एवं निविदा प्रक्रिया की संपूर्ण कार्यवाही जोन कार्यालय द्वारा किया जाएगा तथा लेखा संधारण भी जोन कार्यालय से ही होगा! मूलभूत मद के कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम एवं पीडब्ल्यूडी वर्क्स मैन्युअल तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम व समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेश का पालन जोन को करना होगा! आयुक्त महोदय द्वारा जारी किए गए आदेश के पश्चात अब मूलभूत के विभिन्न आवश्यक कार्यों मे प्रगति आएगी!

जल है तो कल है

जल ही जीवन है!

जनसंपर्क अधिकारी